(9)

Most Important

प्रेषक

पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

प्रेषित

i) सभी प्रबंधक थाना। (नाम से)
ii) प्रभारी चौकी। (नाम से)
iii) सभी नाका इन्चार्ज। (नाम से)
iv) सभी सुरक्षा एजेन्ट, जिला पलवल।

प्रति

सभी पर्यवेक्षण अधिकारी,
जिला पलवल।

क्रमांक-4681-95/सुरक्षा दिनांक-27.04.2020

विषयः- जिला पलवल में कोरोना प्रभावित जिलों एवं अन्य राज्यों दिल्ली-उत्तर प्रदेश से आने-जाने वाले निम्नलिखत व्यक्तियों की सूचि तैयार करने एंव उनका कोविड-19 के सम्बन्ध में चिकित्सा परीक्षण करवाने बारे।

यादि

जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रदेश में प्रतिदिन कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढती जा रही है। इसी दौरान यह भी तथ्य सामने आए हैं कि हरियाणा के कुछ जिलों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के नए मामले कोरोना प्रभावित जिले एवं अन्य पडोसी राज्य दिल्ली, यू.पी. से दिन-प्रतिदिन आने-जाने वाले सरकारी कर्मचारियों एव अन्य आमजन जो अन्य आवश्यक सेवाओं पूर्ती में कार्यरत हैं, की आवाजाही के कारण पीडित व्यक्तियों की (Travel History) के आधार पर सक्रंमण की वजह से मामले सामने आ रहे हैं।

अतः आप सभी को निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने-अपने इलाका से सबन्धित पार्षद/पंच-सरंपच से सम्पर्क करके खुफिया व ऐलानिया तौर पर निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों का पता लगाएं तथा इस प्रकार के Frequent Traveler की थाना एंव चौकी स्तर पर सूचि तैयार करें:-

1. ऐसे सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारी जो जिला पलवल से रोजाना अन्य राज्यों दिल्ली-उत्तर प्रदेश से प्रतिदिन समय-समय पर आवाजाही करते हैं।
2. ऐसे व्यापारी/सप्लायर/आढती/दुकानदार/ठेला-फेरी वाले जो जैसेः- सब्जी, खादय सामग्री, खल-बिनौला/दूध-दूध विक्रेता की दुकान वाले जो अन्य जिलों से सामान लेकर आते हैं।
3. दवाइयों के विक्रेता/सप्लायर जो अर्न्तजिला एंव राज्य में Frequent Traveler हैं।
4. ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जो खादय सामग्री व अन्य आनलाइन वस्तुएं सप्लाई करते हैं जैसेः- जायका/जोमैटो/डोमिनोज/अमेजन/फिल्प कार्ट इत्यादि
5. ट्रांपसपोर्ट से जुडे चालक व परिचालक इत्यादि।

उक्त श्रेणी के सभी व्यक्तियों की सूचि तैयार करके इनका स्थानीय डियूटि मैजिस्ट्रेट एंव चिकित्सक की सहायता से कोविड के सम्बन्ध में मैडिकल परीक्षण करवाएं और मैडिकल परीक्षण उपरान्त चिकित्सक की हिदायत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति Home Qurantine/Isolated किया जाता है तब उसकी

Scanned with CamScanner

खुफिया एंव ऐलानिया तौर पर लगातार निगरानी करें और उल्लंघना की सूरत में उसके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करें। इस सम्बन्ध में सभी थाना प्रबन्धक व चौकी इन्चार्ज की गई कार्यवाही से प्रतिदिन निम्नलिखित प्रोफार्मा अनुसार पालना रिपोर्ट से सांय 06.00 बजे Covid -19 Action & report Whatsapp group पर सुरक्षा शाखा को सूचित करने के जिम्मेवार होंगे।

प्रोफार्मा इस प्रकार से हैः–

क०	श्रेणी	कितने व्यक्तियों का मैडिकल परीक्षण कराया	कितने व्यक्ति Home Qurantine हुए	कितने व्यक्ति Isolation हुए
1	सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारी			
2	व्यापारी/सप्लायर/आढ्ती/दुकानदार/ठेला–फेरी जो जैसेः– सब्जी, खादय सामग्री, खल–बिनौला/दूध–दूध विकता की दुकान वाले			
3	दवाइयों के विक्रेता/सप्लायर			
4	ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर जायका/जोमैटो/डोमिनोज/अमेजन/फिल्प कार्ट इत्यादि			
5	ट्रांपसपोर्ट से जुडे चालक व परिचालक			

नोटः– सभी थाना प्रबन्धक अपने – अपने जिला एंव अर्न्तराज्य पर स्थित नाका बिन्दुओं पर एक रजिस्टर रखवाऐगें जिसमें उपरोक्त किस्म के Frequent Traveler के वाहन नम्बर/वाहन संख्या/मोबाइल नम्बर/नाम–पता दर्ज करने के प्रति नाका डियूटि इन्चार्ज–कर्मचारी को निर्देश देंगे।

सभी पर्यवेक्षण अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में उपरोक्त आदेशों एंव दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करवाने के प्रति जिम्मेवार होंगे। आदेशों की पालना ना करने की सूरत में सम्बंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

27/21३